''एकमुश्त समाधान योजना 2023'' से सम्बन्धित सामान्य प्रश्न (**FAQ**)

प्रश्न सं0 1:– ओ0टी0एस0 योजना–2023 का लाभ कौन ले सकता है ?

उत्तरः–
1. घरेलू (एल0एम0वी0–1),
2. वाणिज्यिक (एल0एम0वी0–2),
3. निजी संस्थान (एल0एम0वी0–4बी),
4. निजी नलकूप (एल0एम0वी0–5),
5. औद्योगिक (एल0एम0वी0–6) श्रेणी के विद्युत उपभोक्ता इस योजना का लाभ ले सकते है।

प्रश्न सं0 2:– ओ0टी0एस0 योजना–2023 का अधिकतम लाभ उठाने हेतु मुझको किस तिथि तक पंजीकरण कराना होगा ?

उत्तरः– 30 नवम्बर 2023 तक पंजीकरण राशि (बकाये का 30 प्रतिशत) जमा करने वाले व्यक्ति को अधिकतम लाभ प्राप्त होगा।

प्रश्न सं0 3:– ओ0टी0एस0 योजना–2023 का लाभ प्राप्त करने हेतु कहाँ सम्पर्क करना होगा ?

उत्तरः– ओ0टी0एस0 योजना–2023 का लाभ प्राप्त करने हेतु उपभोक्ता किसी भी विभागीय खण्ड/उपखण्ड कार्यालय अथवा विभागीय कैश काउन्टर मे जाकर संपर्क कर सकता है।

प्रश्न सं0 4:– मैं एक कृषक हूँ। मेरे निजी नलकूप का कनेक्शन बिल भुगतान न किये जाने के कारण काफी समय से कटा हुआ है। क्या मैं इस योजना का लाभ उठा सकता हूँ ?

उत्तरः– जी हाँ, इस योजना के अर्न्तगत अस्थाई/स्थाई रूप से विच्छेदित बकायेदारों को लाभ मिलेगा।

प्रश्न सं0 5:– मेरे संयोजन का प्रकरण न्यायालय में लम्बित है क्या मैं भी इस योजना का लाभ उठा सकता हूँ ?

उत्तरः– जी हाँ, उपभोक्ताओं को इस आशय का घोषणा पत्र देना होगा कि यदि उनके विरूद्ध कोई कार्यवाही किसी अदालत या किसी अन्य फोरम में लंबित है तो समाधान होने पर और पूर्ण भुगतान करने के बाद व्यक्ति द्वारा केस वापस ले लिया जायेगा।

प्रश्न सं0 6:– मेरे घरेलू कनेक्शन पर दो लाख 63 हजार रूपये का बकाया है। क्या ओ0टी0एस0 योजना में तीन–चार किश्तों में पैसा जमा करने की छूट मिलेंगी या फिर एक साथ पूरा पैसा जमा करना पड़ेगा ?

उत्तरः– जी हाँ, यदि भार 01 किलोवाट है तब उपभोक्ता एकमुश्त अथवा 12 किश्तों में एवं यदि भार 01 किलोवाट से अधिक है तब एकमुश्त अथवा 06 किश्तों में बकाया जमा कर सकता है।

प्रश्न सं0 7:– ओ0टी0एस0 योजना–2023 की अवधि कब तक है ?

उत्तरः– ओ0टी0एस0 योजना–2023 दिनांक 08 नवम्बर 2023 से दिनांक 31 दिसम्बर 2023 तक लागू रहेगी।

प्रश्न सं0 8:– ओ0टी0एस0 योजना–2023 की अवधि बढ़ाये जाने की क्या कोई सम्भावना है ?

उत्तरः– कोई सम्भावना नहीं।

प्रश्न सं0 9:— मेरा बिल तीन साल से गलत आ रहा है, जिसकी वजह से मैं बिल जमा नहीं कर पा रहा हूँ। क्या मुझे इस योजना का लाभ मिलेगा ?

उत्तरः— जी हाँ, उपभोक्ता सम्बन्धित अधिशाषी अभियन्ता, एस0डी0ओ0 कार्यालय अथवा सी0एस0सी0 केन्द्रों पर जाकर अथवा स्वयं भी उ0प्र0पा0का0लि0 की वेबसाइट uppcl.org पर उपभोक्ता कार्नर>सेवा अनुरोध >बिल सुधार अनुरोध में जाकर स्वयं को रजिस्टर कर बिल संशोधन का अनुरोध दर्ज कर सकता है। एवं संशोधित बिल वेबसाइट पर देख सकता है। बिल संशोधन के लिए क्षेत्रों/कार्यालयों/उपकेन्द्रों पर नियमित रूप से शिविरों का आयोजन किया जायेगा। ओ0टी0एस0 का लाभ पंजीकरण की तिथि से मिलेगा।

प्रश्न सं0 10:— पंजीकरण की धनराशि कहां जमा की जा सकती है ?

उत्तरः— उपभोक्ता अपना पंजीकरण अधिशासी अभियन्ता/एस0डी0ओ0 कार्यालय अथवा किसी भी विभागीय कैश काउन्टर पर कराते हुए पंजीकरण की पावती प्राप्त कर सकता है। इस पावती को लेकर उपभोक्ता किसी भी विभागीय खण्ड/उपखण्ड कार्यालय अथवा विभागीय कैश काउन्टर, जन सेवा केन्द्र अथवा वेबसाईट के माध्यम से पंजीकरण राशि जमा करा सकता हैं।

प्रश्न सं0 11:— उपभोक्ता एक मुश्त अथवा किश्तों की धनराशि को कहां जमा कर सकता हैं ?

उत्तरः— उपभोक्ता किश्तों की धनराशि को अपने मासिक बिल के साथ किसी भी कैश काउन्टर, जनसेवा केन्द्र, विद्युत सखी एवं मीटर रीडर अथवा वेबसाइट के माध्यम से जमा कर सकता है।

प्रश्न सं0 12:— भुगतान की किश्तों को नियत तिथि तक जमा न करने की अधिकतम सीमा क्या होगी ?

उत्तरः— किश्तों को नियत तिथि तक जमा न करने (*डिफाल्ट) की स्थिति में निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी।

a) 12 किश्तों के प्रकरण में अधिकतम 3 डिफाल्ट अनुमन्य होगा, लगातार दो डिफाल्ट अनुमन्य नहीं होगा।
b) 6 किश्तों के प्रकरण में केवल एक डिफाल्ट अनुमन्य होगा।
c) 6 किश्तों से कम के प्रकरण में कोई डिफाल्ट अनुमन्य नहीं होगा।

*डिफाल्ट का अभिप्राय किश्त को नियत तिथि तक जमा न करने से है। यदि जिस किश्त का भुगतान ससमय नही किया जाता है तो अगली तय किश्त के साथ ही छूटी हुयी किश्त जमा करना अनिवार्य होगा एवं तभी योजना का लाभ मिल सकेगा।

प्रश्न सं0 13:— क्या अनुमन्य डिफाल्ट से अधिक डिफाल्ट करने की स्थिति में भी मुझे इस योजना का लाभ मिलेगा ?

उत्तरः— जी नहीं, अनुमन्य डिफाल्ट के उपरान्त भी यदि उपभोक्ता डिफाल्ट करता है तो उस स्थिति में उसे इस योजना के लाभ से वंचित कर दिया जायेगा तथा विलम्ब भुगतान अधिभार (सरचार्ज) में छूट की राशि पुनः बिल में जोड़ दी जायेगी तथा भविष्य में इस प्रकार की किसी योजना का लाभ नहीं दिया जायेगा।

प्रश्न सं0 14:— उपभोक्ताओं के अधिभार की गणना के लिए कौन—सी तिथि प्रभावी होगी ?

उत्तरः— निजी नलकूप के उपभोक्ताओं के लिये अधिभार की गणना 31.03.2023 तक के मूल बकाये पर की जायेगी तथा अन्य सभी उपभोक्ताओं के लिये यह गणना 31.10.2023 तक के बकाये पर की जायेगी।

प्रश्न सं0 15:– क्या विद्युत चोरी के कारण हुये राजस्व निर्धारण पर भी छूट मिलेगी ?

उत्तरः– जी हाँ, उक्त प्रकरणों में भी छूट का अवसर दिया गया है। दिनांक 30.नवम्बर .2023 तक पंजीकरण कराने पर अधिकतम लाभ होगा जिसमें 65 प्रतिशत की छूट मिलेगी। उदाहरणार्थ यदि राजस्व निर्धारण एक लाख रू0 है तब कुल 35 प्रतिशत अर्थात् 35 हज़ार रू0 जमा करने होंगे जिसमें से 10 प्रतिशत अर्थात् 10 हज़ार रू0 पंजीकरण हेतु जमा कराने होंगे शेष 25 हज़ार रू0 बाद में जमा कराया जाना होगा।

शमन की राशि भी एकमुश्त भुगतान/प्रथम किश्त के साथ जमा करनी होगी। जिसकी दर श्रेणीवार निम्नवत् हैः–

घरेलू उपभोक्ता	एक किलोवाट विद्युत भार तक	रू0 2,000
	एक किलोवाट विद्युत भार से अधिक	रू0 4,000 प्रति किलोवाट
निजी नलकूप (कृषि उपभोक्ता)	सभी भार के लिए	रू0 2,000 प्रति हार्स पावर
वाणिज्यिक उपभोक्ता	एक किलोवाट विद्युत भार तक	रू0 5,000
	एक किलोवाट विद्युत भार से अधिक	रू0 10,000 प्रति किलोवाट
निजी संस्थान	एक किलोवाट विद्युत भार तक	रू0 2,000
	एक किलोवाट विद्युत भार से अधिक	रू0 4,000 प्रति किलोवाट
औद्योगिक उपभोक्ता	सभी भार के लिए	रू0 20,000 प्रति किलोवाट

प्रश्न सं0 16:– विद्युत चोरी के प्रकरणों में क्या शमन शुल्क की धनराशि पर भी छूट मिलेगी ?

उत्तरः– जी नहीं, शमन शुल्क की धनराशि पर कोई भी छूट नहीं मिलेगी।

प्रश्न सं0 17:– मेरे विरूद्ध आर0सी0 निर्गत है क्या मुझे भी इस योजना का लाभ मिलेगा ?

उत्तरः– जी हाँ, जिन उपभोक्ताओं के विरूद्ध आर0सी0 निर्गत है उनको भी इस योजना का लाभ मिलेगा।